न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 11/2024 दायर दिनाँक 25.01.2024

वादी

1. महेन्द्र कुमार पुत्र नथमल जाति महाजन निवासी धनकोली तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान, हाल निवासी 5 गोल्डन टुलिपस, माणक बाग होल के पास नवरंगपुरा अहमदाबाद, गुजरात जरिये आम मुख्त्यार नन्द कुमार खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री कुन्दनमल खण्डेलवाल जाति ब्राह्मण निवासी मारवाड़ मील कॉम्पलेक्स, प्लॉट नम्बर 118, मेड़ता सिटी तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार मौलासर
2. इन्दु पुत्री रामनिवास
3. गोरधन पुत्र रामनिवास (फौत)
4. प्रेमलता पुत्री रामनिवास
5. राजेन्द्र पुत्र रामनिवास
   5/1 पुष्पा सोमाणी उर्फ अल्का सोमाणी
6. विजय पुत्र रामनिवास
7. विमला पुत्री रामनिवास
8. सुशील पुत्र रामनिवास
   समस्त जाति महाजन निवासीगण धनकोली तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान हाल निवासीगण 54–वसंत महल, 6वीं मंजिल फ्लैट नम्बर 36 सी रोड़ चुर्हगेट, मुम्बई।
9. प्रशांत पुत्र नथमल जाति महाजन निवासी धनकोली तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान हाल निवासी पोद्दार का घर, 5वीं मंजिल ए रोड़, चर्चगेट मुम्बई– 400020
10. रामनारायण पुत्र नथमल जाति महाजन निवासी धनकोली तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान हाल निवासी पोद्दार का घर, 5वीं मंजिल ए रोड़, चर्चगेट मुम्बई– 400020
11. श्रीप्रकाश पुत्र नथमल जामि महाजन निवासी धनकोली तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान हाल निवासी 86/ए श्री निकेतन तीसरी मंजिल मरीन ड्राइव, मुम्बई– 400020

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 188 R.T.Act., 136 L.R. Act

उपस्थित:–

1. श्री नेमीचन्द शर्मा वकील वादी।
2. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वकील प्रतिवादीगण 2, 4, 6 ता 11 ।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **04.08.2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:04 IST
Reason: SelfAttested

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं, वादी महेन्द्र कुमार की ओर से आम मुख्त्यार नन्द कुमार खण्डेलवाल को दिनांक 11.12.2023 को [illegible] 2023 द्वारा नोटेरी प्रमाणित करवाकर आम मुख्त्यार नियुक्त कर रखा है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या [illegible] ता 11 स्व. नथमल व निवास उर्फ रामनिवास के वारिसान हैं, जिनकी पैतृक सम्पति की भूमि [illegible] सरहद धनकोली वर्तमान [illegible] नम्बर 1110 रकबा 0.0600 हैक्टेयर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.0200 हैक्टेयर [illegible] मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1114 रकबा 6.6000 हैक्टेयर कुल रकबा 6.6800 हैक्टेयर है। जिसके सम्वत् 2006 में खसरा नम्बर 435 व 436, खसरा नम्बर 436 थे व जिनके सम्वत् 2022 में खसरा नम्बर 694,

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

697, 698 थे। उक्त खसरान की भूमि सम्वत् 2006 से पक्षकारान के पूर्वज स्वर्गीय नथमल पुत्र मोतीलाल व स्व. निवास उर्फ रामनिवास पुत्र हनुमान बक्ष कौम महाजन के एकल कब्जे काश्त खातेदारी की रही है। उपरोक्त खसरा नम्बरान में सम्वत् 2006 से पक्षकारान के पूर्वजों के द्वारा वर्षा ऋतु एवं कुए से पानी लेकर काश्त की जाती रही हैं वर्तमान समय में भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 आज भी अनवरत उसी अनुसार काश्त करते व करवाते आये है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11 के अलावा कभी किसी का कब्जा काश्त नहीं रहा, न आज ही है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के पूर्वज महाजन जाति से होने के कारण पहल धनकोली में व्यापार करते थे, तत्पश्चात भारत के मुम्बई अहमदाबाद आदि क्षेत्रों में व्यापार करने लग गये मगर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का धनकोली पूर्वजों का जन्म स्थान होने के कारण प्रारम्भ से ही शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में एवं अन्य सामाजिक सरोकारों में हर वक्त गांववासियों की उन्नती के लिए दान देते, भवन आदि का निर्माण करवाया, जहां आज भी शिक्षा, चिकित्सा गांववासियो की सुविधा के लिए अनवरत चल रही हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 आज भी अपने पूर्वजों के जन्म स्थान पर देवी देवताओं की पूजा अराधना आदि के लिए प्रतिवर्ष आते रहते हैं एवं अपने सामर्थ्य अनुसार आज भी अपने गांव की उन्नती हेतु दान देकर जनहित के कार्य करते आये हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी आज भी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा उक्त खसरान की भूमि में उन्ही के द्वारा काश्त करवायी जाती रही हैं, मगर सम्वत् 2022 की खतौनी में सहवन से उक्त खसरान की भूमि की खातेदारी में "व्यंकटेश धर्मादा फंड धनकोली" नाम गलत दर्ज कर दिया, ऐसा राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान की बिना जानकारी के किया गया है, इसलिए उक्त गलत एंट्री की दुरूस्त करने हेतु यह वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है। पक्षकारान अधिकतर बाहर रहने के कारण उक्त गलत राजस्व रेकर्ड की जानकारी पक्षकारान को नही रही। पक्षकारान द्वारा नियुक्त धनकोली गांव में पैतृक सम्पति की देखभाल की जाती रही है। दिनांक 17.10.2023 को खतौनी की नकल ई–मित्र द्वारा लेने पर गलत इन्द्राज "व्यंकटेश धर्मादा फंड धनकोली" की जानकारी हुई। तब सम्वत् 2006 की खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 27.10.2023 को राजस्व अभिलेखों से निकलवाई थी। उक्त भूमि सम्वत् 2006 में स्व. नथमल जी व स्व. निवास उर्फ रामनिवास के नाम खातेदारी में रही है। मगर उक्त गलत इन्द्राज सम्वत् 2022 में बिना पक्षकारान की जानकारी के एवं राजस्व अधिकारियों ने सहवन से कर दिया जो "व्यंकटेश धर्मादा फंड धनकोली" राजस्व रेकर्ड से पृथक किया जाना आवश्यक व न्याय संगत हो गया हैं, जिस हेतु भी यह वाद पेश है। उक्त खसरान की भूमि में पक्षकारान के पूर्वज के समय से विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ हैं, मगर उक्त खसरान की भूमि पर गलत इन्द्राज के कारण पक्षकारान वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लाभ परिलाभ एवं अन्य किसी उपयोग हेतु लेने में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए भी यहां रिकॉर्ड दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक हो गया है, जिस हेतु भी यह वाद प्रस्तुत है। उपरोक्त बाबत खसरान में पक्षकारान के अलावा अन्य कभी किसी प्रकार का अधिकार नही रहा हैं, मगर गलत राजस्व रेकर्ड के कारण पक्षकारान को अपनी पैतृक सम्पति की भूमि से कोई न कोई संशय बना रहता हैं एवं ऐसी गलत एंट्री भी किया जाना न्यायोचित प्रतीन नही होता है। इसलिए वादी को यह स्थायी निषेधाज्ञा का वाद आवश्यक हुआ है। वादी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि के चारों तरफ दीवार बना रखी है। उक्त जायगा में कुआ मय ट्युबवैल, जनरेटर व बिजली की कोटड़ी व बालाजी का मन्दिर तथा धान के लिए गोडाउन आदि बना रखे है। वर्तमान समय में गेहुं, तारामीरा आदि की काश्त कर रखी हैं जो मौके पर मौजुद है। वादी व दीगर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11 का हित एक ही है, मगर अभी वे शकुन्त पर उपस्थित नही होने के कारण उन्हे प्रफोर्मा प्रतिवादीगण बनाया गया है। सरस्वती देवी का स्वर्गवास हो चुका हैं, जिसके पक्षकारान ही वारिस है। इसलिए खातेदार सरस्वती देवी को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

मौजा धनकोली वर्तमान खसरा नम्बर 1110, 1113, 1114 के राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज "व्यंकटेश धर्मादा फंड धनकोली" के गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर [illegible] के राजस्व रेकर्ड अनुसार वर्तमान राजस्व राजस्व रेकर्ड में करवाये जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि वह गलत इन्द्राज के आधार पर अन्य कोई विधि विरूद्ध कार्यवाही नही करावे। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज "व्यंकटेश धर्मादा फंड धनकोली" की गलत एंट्री को पृथक करावें तथा दीगर दादरसी मुफीद अता फरमावें। वादी द्वारा [illegible] पेश कर व्यंकटेश धर्मादा फंड धनकोली के स्थान पर बैंक टेश धर्मादा फंड किये जाने का निवेदन किया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 6 ता 11 की ओर से वकील विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इकबालिया जवाब पेश

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:04 IST
Reason: SelfAttested

किया। प्रतिवादी संख्या 5 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता रामस्वरूप लखारा ने इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 नाऔलाद फौत हो चुका है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हटाया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने आने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दिया संवत् – 2006, संवत् 2016–2019, संवत् 2017–2020, भू– प्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत् 2022 पेश की। एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2010–2013, 2014–2018, 2016–2019, 2020–2022, खसरा मिलान क्षेत्रफल पेश किये। वादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी के आम मुख्त्यार नन्द कुमार खण्डेलवाल के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत हुए।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः उनके वाद पर आधारीत रही तथा उन्होंने दावा डिक्री सादिर करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने माफिक इस्तदुआ दावा स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन व तत्संबंधी विधि का अध्ययन किया गया। सरहद धनकोली के वर्तमान खसरा संख्या 1110, 1113, 1114 कुल क्षेत्रफल 6.6800 है. में दर्ज "बैंक टेश धर्मादा फंड धनकोली" को राजस्व रेकर्ड से हटवाने की वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11 इस्तदुआ कर रहे हैं। वादी का कथन है कि उक्त भूमि में पक्षकारान की बिना जानकारी के " बैंकटेश धर्मादा फंड धनकोली" रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया जो गलत अंकन है। इस गलत अंकल को दुरुस्त किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 ता 11 ने इकबाली जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किया है। शेष प्रतिवादीगण ने वाद का कोई विरोध नहीं किया है। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान खसरा संख्या 1110, 1113, 1114 के साबिक खसरा नम्बर 694, 697, 698 रहे है। एवं गत खसरा नम्बर 694, 697, 698 के साबिक खसरा नम्बर 436, 437 रहे है तथा साबिक खसरा नम्बर की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के पूर्वज नथमल पुत्र मोतीलाल व निवास उर्फ रामनिवास पुत्र हनुमान बक्ष कौम महाजन के नाम से रही है। संवत् 2022 तक यही इन्द्राजात अमलेख में चलते रहे है। " बैंक टेश धर्मादा फंड धनकोली" का कोई अंकन नहीं था। संवत् 2022 में हुए द्वितीय भूप्रबंध कार्यवाही के वक्त वादी व प्रतिवादीपक्ष के पूर्वजों के नाम के साथ "बन्कटेश धर्मादा फंड धनकोली" का अंकन जोड दिया गया। विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान वर्तमान अभिलेख में परिवर्तन का अधिकार भू प्रबन्ध विभाग को नहीं होता है। जब तक किसी सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं होता है। पूर्व में चल रहे अंकनों को ही दोहराना होता है। भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान जोडे गये अंकन " बैंकटेश धर्मादा फंड धनकोली" का विधि में कोई स्थान नहीं रहता है। उक्त गलत अंकन प्रारम्भ से ही शून्य है। भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा जोडे गए उक्त गलत अंकन को हटवाने का वादी कानूनन हकदार है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्यों से वादी का वाद पूर्णतया प्रमाणित होता है। उपरोक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा धनकोली तहसील मौलासर के वर्तमान खसरा संख्या 1110, 1113, 1114 की खातेदारी में दर्ज अंकन "बैंक टेश धर्मादा फंड धनकोली" को हजफ़ (विलोपित) किया जाता है।तदनुसार रेकर्ड दुरुस्त हो।

vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनाँक [illegible] 2025 [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:04 IST
Reason: SelfAttested

vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना